

**अनुदान संख्या 11 - वाणिज्य विभाग**  
**GRANT No. 11-DEPARTMENT OF COMMERCE**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	50,00	11,29	-38,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			25,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1887,70,00		
पूरक	Supplementary	1200,04,00	2963,00,87	-124,73,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			102,04,16
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	707,00,00		
पूरक	Supplementary	29,79,00	736,79,00	733,21,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,20,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (12473.13 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 120004.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 10 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.12473.13 lakhs) constituted 10 percent of the supplementary grants of Rs.120004.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services			
मू.	O. 4200.00	3958.17	3783.49	-174.68
पु.	R. -241.83			
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals			
मू.	O. 5100.00	4712.36	4495.61	-216.75
पु.	R. -387.64			
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations			
मू.	O. 37046.00	37598.00	37115.59	-482.41
पू.	S. 2.00			
पु.	R. 550.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 8800.00	..	..	..
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -8801.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O. 133624.00	252301.31	250906.18	-1395.13
पू.	S. 120001.00			
पु.	R. -1323.69			

(I) 8978.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8801.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "चाय - अन्य व्यय" -

(क) "चाय उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 5400.00 लाख रु.;

(ख) "अनुसंधान और विकास" - 800.00 लाख रु.;

(खा) "काफी - अन्य व्यय - काफी उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 600.00 लाख रु.;

(गा) "रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 1501.00 लाख रु.(1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(घा) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3453" - "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता" के अंतर्गत 74900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 90000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 164900.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो माने गए निर्यात पर शुल्क की वापसी के कम दावे प्राप्त होने और केन्द्रीय बिक्री कर एवं सीमांत उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण 963.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वाणिज्य विभाग" के अंतर्गत 416.51 लाख रु. की बचत (4200.00

(I) Provision of Rs.8978.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.8801.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Tea - Other Expenditure"-

(a) "Assistance to tea growers and others" - Rs.5400.00 lakhs;

(b) "Research and Development" - Rs.800.00 lakhs;

(B) "Coffee - Other Expenditure - Assistance to Coffee growers and others" - Rs.600.00 lakhs;

(C) "Rubber - Other Expenditure - Assistance to Rubber growers and others" - Rs.1501.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh); and

(D) "Spices - Other Expenditure - Assistance to Spices growers and others" - Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3453" - "Assistance to Export Promotion and Market Development - Assistance to Export Promotion and Market Development Organisations" - the original provision of Rs.74900.00 lakhs was augmented to Rs.164900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.90000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.963.91 lakhs - due to receipt of less claims of duty drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty.

(III) Under Major Head "3451"- "Secretariat - Department of Commerce"- saving of Rs.416.51 lakhs (against the sanctioned provision of

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2057" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय" - 436.48 लाख रु. की बचत (3253.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय" - 167.91 लाख रु. की बचत (1846.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2407" - "चाय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पुनरोपण संबंधी आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड" - 3300.00 लाख रु. की बचत (7300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और विधि मंत्रालय द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "चाय बोर्ड" - 1700.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "चाय क्षेत्र संबंधी विकास निधि के अंतर्गत चाय बोर्ड को अदायगी" - 358.00 लाख रु. की बचत (5300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

Rs.4200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals of computerisation by National Informatics Centre and economy measures.

(IV) Under Major Head "2057" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Purchase - Directorate General of Supplies and Disposals"- saving of Rs.436.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3253.10 lakhs); and

(B) "Inspection-Directorate General of Supplies Inspectorate" - saving of Rs.167.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1846.90 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(V) Under Major Head "2407" - "Tea" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy for re-plantation - Tea Board" - saving of Rs.3300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7300.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by Planning Commission and non-clearance by Ministry of Law.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Tea Board" - saving of Rs.1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-approval of scheme by Planning Commission.

(b) "Payment to Tea Board under Development Fund for Tea Sector" - saving of Rs.358.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(VI) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(का) “विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक” - 406.40 लाख रु. की बचत (4547.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त” - 785.91 लाख रु. की बचत (7850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) “निर्यात पर गुणवत्ता नियंत्रण - निर्यात निरीक्षण परिषद” - 350.01 लाख रु. की बचत (1875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ भूमि खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कोलकाता में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए ठेके को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) “अन्य व्यय” -

(क) “विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र” - 150.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “संस्थाओं को सहायता” - 700.00 लाख रु. की बचत (1325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ भूमि खरीद संबंधी सौदे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.32 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1295.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 120003.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(A) “Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade”- saving of Rs.406.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4547.00 lakhs); and

(B) “Trade Representation -Trade Commissioners”-saving of Rs.785.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7850.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) “Quality Control of Export - Export Inspection Council” – saving of Rs.350.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1875.00 lakhs) was due to non-finalisation of land purchase with Delhi Development Authority and contract for construction of lab at Environmental Impact Assessment, Kolkata.

(D) “Other Expenditure”-

(a) “Centre for WTO Studies” – saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of 300.00 lakhs); and

(b) “Assistance to Institutions” – saving of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1325.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of land purchase deal with Delhi Development Authority.

(VII) Under one head saving of Rs.97.32 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1295.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.120003.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" - "मसाले - अन्य व्यय - मसाला बोर्ड" - 296.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" - "अन्य व्यय - कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" - 999.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 2800.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) "रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 1750.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) "मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (357.03 लाख रु.) अगस्त, 2007 और नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 2979.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) Major Head "2407" - "Spices - Other Expenditure - Spices Board" - Rs.296.00 lakhs.

(B) Major Head "3453" - "Other Expenditure - Agricultural Products Export Development Authority" - Rs.999.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2407" - under the following heads:-

(A) "Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"-excess of Rs.2800.00 lakhs (against nil provision);

(B) "Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"-excess of Rs.300.00 lakhs (against nil provision);

(C) "Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"-excess of Rs.1750.00 lakhs (against nil provision) ; and

(D) "Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"-excess of Rs.400.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.357.03 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of Rs.2979.00 lakhs obtained in August, 2007 and November, 2007 and half percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00			
पु.	R.	-6000.00			
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	54700.00			
पू.	S.	2979.00	63459.00	63321.97	-137.03
पु.	R.	5780.00			

(I) 6000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - विदेश व्यापार पर पूँजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2880.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - आधुनिकीकरण एवं उन्नयन" के अंतर्गत 2979.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2746.81 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत अधिक

(I) Provision of Rs.6000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "General-Capital Outlay on Foreign Trade – Other Expenditure – Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4.(I) The above savings were partly (Rs.2880.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2979.00 lakhs under Major Head "5453" – "General - Other Expenditure – Modernisation and Upgradation". Actual excess, however, was Rs.2746.81 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5453" – "General – Other Expenditure – Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied

व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 2896.16 लाख रु. का अधिक व्यय (54000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Activities" – excess of Rs.2896.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.54000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

---